

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक 5 मार्च, 2019

संख्या : 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0प्र0-2984/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर-13-₹1,23,100-2,15,900/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/प्रभार	विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि
1.	श्री आदेश तितरमारे (2006)	निदेशक, कृषि, बिहार, पटना	दिनांक-01.01.2019 के प्रभाव से ।
2	श्री दयानिधान पाण्डेय(2006)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति दीर्घकालिक प्रशिक्षण पर)	दिनांक-01.01.2019 के प्रभाव से ।
3	श्री धर्मेन्द्र सिंह(2006)	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक-01.01.2019 के प्रभाव से ।
4	श्री संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी (2006)	प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना)	दिनांक-01.01.2019 के प्रभाव से ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-2984/पटना-15, दिनांक 5 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली /संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार

भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-4 के पदाधिकारी-श्री संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी (2006) के गैर-संवर्गीय पद को भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत उनके द्वारा विशेष सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके पदस्थापनकाल तक के लिए विशेष सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

  
(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव